

म काम तो कर रहे हैं लेकिन क्लिन एम्ब्र एंड आब्जेक्ट्स को ले कर उनकी स्थापना की गई थी, वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ए० डी० गोरवाला की जो रिपोर्ट है, इस बारे में, उसकी चन्द लाइनें में पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। उनका कहना है:—मैसूर में इस बात पर सभी एकमत हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा है, उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो व्यवसायिक दृष्टि से उनका समर्थन करने को विवश हैं कोई भी उन के पक्ष में नहीं कहता है, वस्तुतः कहीं भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

मैं शासन से प्रार्थना करता हूँ कि वह एक इनक्वायरी कमेटी बिठाये जो यह देखे कि मुल्क में जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसको बढ़ावा देने के लिये मुल्क में बहुत सी मल्टी-परपज रिवर स्कीमज़ अमल में आ रही हैं। इन में बहुत से दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के बारे में स्टेटों में झगड़े हैं। इन झगड़ों को मिटाने के लिये एक कमेटी बिठाई गई थी। उसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने है। मैं चाहता हूँ कि इन झगड़ों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिये। आज देखने में आता है कि बहुत सी स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। कृष्णा और गोदावरी के पानी का तथा इसी तरह से दूसरे बहुत से प्राबलैम्ब्र आपके सामने मैसूर सरकार ने तथा दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों ने रखे हैं। जल्दी से जल्दी इन झगड़ों को मिटाने की कोशिश होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अन्याय हो रहा है, वह होता जायेगा। इन से विभिन्न क्षेत्रों को जो लाभ पहुंचना है, वह जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाना चाहिये।

टैक्सेशन तथा रिसोर्सिंस बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमें फिजूल खर्ची बन्द करनी होगी। कम्प्युनिटी प्राजैक्ट्स पर जो बहुत अधिक फिजूलखर्ची हो रही है, उसको रोकना होगा, ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करनी होगी। हमें चाहिये कि हम ठीक तरीके से काम करे। करप्शन जो बढ़ रही है, उसको रोके। अगर हम ने ये सब कुछ किया तो हम काफी बचत कर सकेंगे और उसी हिसाब से कम टैक्सेशन हम कर सकेंगे।

प्रधान मंत्री तथा वंदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बहुत सी बातें कहीं गयीं पूर्ववक्ता ने सामुदायिक परियोजनाओं के संबंध में कई बातें कहीं और कहा कि उस में रूपये का व्यर्थ अपव्यय किया जा रहा है।

इस में संदेह नहीं कि सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत कई स्थानों में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं हुआ है, तो भी ये परियोजनायें एक बड़े और अधिक महत्वपूर्ण रूप को धारण कर चुकी हैं वह है 'पंचायती राज' आज देश के सम्मुख दो ही आशाजनक वस्तुएँ हैं एक पंचायती राज और दूसरी 'सामुदायिक विकास'। उक्त दोनों योजनायें भारत की बुनियादी समस्या को स्पर्श करती हैं। वस्तुतः इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि देश के देहातों में रहने वाली करोड़ों जनता को जागृत किया जाय और उन में परिवर्तन लाया जाये। करोड़ों व्यक्तियों की विचारधारा बदलना अत्यंत कठिन कार्य है जब कि हम जानते हैं कि कुछ विरोधी सदस्यों की विचारधारा बदलना ही कितना कठिन होता है। पुरानी रूढ़ियों को बदलना अत्यंत कठिन होता है। तथापि यह हमारा बुनियादी कार्य है और वस्तुतः सारे कारखाने भी केवल एक सीमा तक ही इस कार्य में सहायता कर सकते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सामुदायिक विकास और पंचायती राज तो बुनियादी कार्य करता है उन्हें लोगों में स्वावलंबन और मौलिक विचारधारा को उत्पन्न करना है। यदि हम इस समस्या को २० से ३० प्रतिशत भी हल कर चुके हैं तो भी यह समस्या चाहिये कि हमें आश्चर्य जनक सफलता मिली है। अतः हमें जनता की दशा में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये उनकी निन्दा करने का तात्पर्य यह है कि हम उस प्रयास की निन्दा करते हैं जो कोटि कोटि जनता के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है।

जिन बातों की सदस्यों ने मुख्य रूप से चर्चा की है वे चीन का आक्रमण हैं और देश का आर्थिक विकास हैं दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कोलम्बो प्रस्तावों की पुनः आलोचना की है। एक महीने पूर्व इस सभा में काफी चर्चा हुई थी तथा उस चर्चा के पश्चात् हमने कार्यवाही की। आज भी वे अपने को एक महीने पूर्व की स्थिति से ऊपर नहीं निकाल पाये हैं। एक महीने में बहुत कुछ हुआ है और इस चर्चा के पश्चात् हमने उन प्रस्तावों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने वाली शक्तियों को तदनुसार सूचित कर दिया गया। तथापि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इससे हमारी प्रतिष्ठा को आघात हुआ है। मेरे विचार से ऐसे लोगों का दृष्टि-कोण अत्यंत संकीर्ण है। हमारी कठिनायी यह है कि एक बार विचार बना लेने पर, भले ही वह गलत क्यों न हो हमारे लिये उसे बदलना अत्यंत कठिन होता है। हम ऐसे समय में रहते हैं जब तेजी से विचार करना, तेजी से कार्य करना और विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझना बहुत आवश्यक है। मैं वह नहीं कहता कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं किन्तु उतरदायी पद पर रहने के कारण हमें स्थितियों का सावधानी से अध्ययन करना होता है और तब हम यथाशक्ति काम करते हैं।

हम एक असाधारण युग में रह रहे हैं। विश्व तेजी से बदल रहा है तथा कोई भी इस परिवर्तन को बदल नहीं सकता है। कभी कभी ये परिवर्तन अत्यंत तेजी से होते हैं। यह प्रक्रिया आज से २०० वर्ष पूर्व आरम्भ हुई थी इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् हम भी इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने इन परिवर्तनों के साथ साथ चलना है। क्योंकि कुछ परिवर्तन बुनियादी होते हैं जैसे देश का औद्योगीकरण करना। आधुनिक, आर्थिक, सामाजिक, और सैन्यीकरण की समस्याओं का सामना केवल इसी तरह किया जा सकता है। वस्तुतः कोई भी राष्ट्र जब तक वह औद्योगीकरण नहीं करता है शक्तिशाली नहीं बन सकता है।

हमारे लिये पुरानी लीकों से बाहर निकलना आवश्यक है, हम भारतवासियों में सब से बड़ा अवगुण यह है कि हम सारी रूढ़ियों से चिपके रहते हैं।

परिणाम यह है कि हम कई बार इतिहास में पीछे रह गये हैं। इस बात के बावजूद कि हमारी परम्परायें बहुत ऊंची थीं, हम इस बदलती दुनिया में पीछे रह गये हैं। और अन्य लोग आगे बढ़ गये हैं। उन परम्पराओं के साथ जो अन्य चीजें मिल गई थीं, हम उन्हें ले कर बैठ गये और अस्ली चीज को भूल गये।

आज हमें इस समस्या पर वर्तमान स्थिति के प्रकाश में विचार करना है। हमें आधुनिक दुनिया में रहना है और आधुनिक तरीकों से समस्याओं का हल करना है। कोई यह नहीं कह सकता कि हम सीमान्त पर चीनियों से तीर कमान ले कर लड़ें। किन्तु ऐसा सोचने वाले भी हैं। कुछ लोग स्थिति बदलना चाहते हैं परन्तु कैसे? वे इतिहास के किसी पुराने समय में जाना चाहते हैं। यदि यह संभव हो। इतिहास में कोई वापस नहीं जा सकता, केवल पिछली घटनाओं से कुछ सीख सकता है।

इस समय बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और पिछले दो महीनों में चीनी आक्रमण के कारण जो गम्भीर अनुभव हुए हैं, उस से हमें बहुत धक्का लगा है। कुछ सदस्य हमारी सरकार पर आत्म-संतुष्टि का आरोप लगाते हैं किन्तु मेरा विचार है कि ऐसा नहीं है। हम ने गलतियाँ भले ही की हैं किन्तु कोई व्यक्ति जिस ने उत्तरदायित्व संभालना हो और संकट के समय बड़े बड़े निर्णय करने होते हैं, वह आत्म-संतुष्टि कैसे हो सकता है। आत्म-संतुष्टि तब होगी जब स्थिति और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तही चीज बार बार दुहराई जाये। सदस्यों को कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में बोलते हुए सुन कर, मुझे आश्चर्य होता है।

† श्री रंगा : क्या यह समाप्त हो चुके हैं ?

† श्री जवाहरलाल नेहरू : ये समाप्त नहीं हुए। हम ने उन्हें स्वीकार किया है। इसलिए कि सदन के बहुमत ने इन्हें अनुमोदित किया है, क्योंकि सदन ने ८ सितम्बर वाली स्थिति के पहले प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था। यदि कुछ माननीय सदस्य पीछे रह जाते हैं, तो यह मेरा दोष नहीं है।

† श्री रंगा (चित्तूर) : नवम्बर, १४ का संकल्प बदला नहीं जा सकता।

† अध्यक्ष महोदय : सब दलों के सदस्य बोल चुके हैं और सरकार की आलोचना कर चुके हैं। अब उत्तर सुनना चाहिये।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल असहमत हूँ, वे सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सकते।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

इस बड़े अनुभव ने हमें जगा दिया है और अब हमें कम से कम जागरूक रहना चाहिये। मैं मानता हूँ कि सरकार या संसद या लोग कुछ हद तक सचाई को नहीं समझ सके। मैंने आक्रमण के तीन दिन बाद अपने रेडियो भाषण में भी ऐसा कहा था, किन्तु हमें समस्या को, खासकर इसके सैनिक पहलू को समझना चाहिये। केवल भाषणों से युद्ध में जीत नहीं प्राप्त हो सकती।

देश के सामने दो बड़ी समस्याएँ चीनी आक्रमण और देश का आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास का इस से गहरा संबंध है, क्योंकि इसी से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे देशों से सहायता कुछ हद तक हमें शक्ति दे सकती है किन्तु उस सहायता का प्रयोग करने के लिये भी आर्थिक विकास जरूरी है और हम सदा के लिए निरन्तर सहायता की आशा में नहीं बैठे रह सकते। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और यह बल हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कृषि, उद्योग आदि में प्रयोग करके प्राप्त हो सकता है। इन दोनों बातों का एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है।

विकास का प्रश्न हमारे सामने स्वतंत्रता प्राप्ति से है। हर देश के सामने होता है। किन्तु एक अन्तर है। एशिया या अफ्रीका के कुछ देश विकास की बात करते हैं। और विकसित देशों से सहायता लेते हैं किन्तु उनका कोई नियमित सिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ आयोजन से है, युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाने से है। इस बात को सभी मानते हैं कि आयोजित दृष्टिकोण का होना नितान्त आवश्यक है। आयोजना के स्वरूप में कुछ अन्तर हो सकता है किन्तु उसके मुख्य पहलू वही हैं।

आयोजन करते समय हम अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि सभी पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी देशों के विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। वे सब इस बात पर सहमत होते हैं कि आयोजित दृष्टिकोण अपनाया जाये। माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि हमारे पास विश्व के दर्जनों देशों से प्राविधिक सांख्यिक आये हैं, उन में से कुछ पोलैंड जैसे साम्यवादी देशों में और कुछ अमेरिकन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक थे। किन्तु जब वे हमारे साथ बैठे हैं, तो उन्होंने वही बातें कही हैं और वही गलतियाँ बतलाई हैं अब हम उस पुरानी आदत को छोड़ रहे हैं कि विश्व में साम्यवादी और गैर-साम्यवादी ही रहते हैं। तथ्य यह है कि आज का विश्व वैज्ञानिक विश्व है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे साम्यवादी या पूंजीवादी रासायनिक या बन्दूक कहा जा सके। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपज है। आज जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बनती हैं, चाहे हमारा दृष्टिकोण साम्यवादी हो या पूंजीवादी। चूंकि यह वैज्ञानिक विश्व है, इस लिये आप का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक होना चाहिये। आज हर वह देश जो शक्तिशाली है एक समृद्ध और विकसित देश है। अर्थात् एक विकसित देश अमीर और शक्तिशाली दोनों होता है, शक्तिशाली सैनिक दृष्टि से। देश तभी तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रौद्योगिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित न हो। कुछ देश औरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह और बात है। विकास का होना आवश्यक है। यह थोपा नहीं जा सकता। यदि मुझे एक बन्दूक दी जाये तो मैं उससे कुछ नुकसान कर सकता हूँ, किन्तु जब तक मैं उसे बनाना नहीं सीखूँ, वह इतनी उपयोगी नहीं हो सकती। इसे हमें विकसित करना है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सैनिक दृष्टि से यही पहलू है।

विकसित होने वाले देश की सैनिक शक्ति के पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हाथ होता है। इस लिये आजाद होने के २ या ३ मास बाद हमने विज्ञान के विकास पर जोर दिया और देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित कीं जिस से भारत वैज्ञानिक और उन्नतिशील देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है। प्रौद्योगिकी इसी तरह आती है। कहीं कहीं पर एक दो कारखाने स्थापित कर देना औद्योगिकरण नहीं है। हमें लाखों लोगों में औद्योगिकरण की मनोवृत्ति पैदा करनी है, जिस के कारण किसान अधिक अच्छे हल आदि प्रयोग कर सकें। हमें बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस लिये चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना आवश्यक है। चीनी खतरा आज या कल की बात नहीं है। यह एक दीर्घकालीन विषय है और इतिहास की दृष्टि से चीन और भारत का झगड़ा एशिया और विश्व के लिये बहुत बड़ी चीज है। इसे उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इस का अर्थ यह नहीं कि हम पांच या दस वर्ष बाद की बात सोचें और आज का कर्तव्य भूल जायें। इस का सहसा जादू से कोई हल नहीं ढूँढा जा सकता है या जादू की सहायता से। हम सहायता

अवश्य लेंगे और ले रहे हैं किन्तु तथ्य यह है कि वास्तविक शक्ति आन्तरिक विकास से ही आ सकती है ।

इस लिये युद्ध स्थिति देश के विकास से सम्बद्ध है । राष्ट्रपति ने कहा है कि दो बड़ी समस्याएँ हैं और युद्ध हो या न हो, विकास आवश्यक है । कुछ लोगों का विचार है कि चूँकि एक युद्ध की स्थिति है, इसलिए विकास को पीछे छोड़ देना चाहिये । यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थिति का मुकाबला अपने आप को शक्तिशाली बना कर ही किया जा सकता है ।

श्री रंगा : किसी ने ऐसा नहीं कहा । हमें आप की समाजवादी योजना पर आपत्ति है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम पर एक गम्भीर संकट आ पड़ा है । यह स्पष्ट है । प्रश्न यह है कि हमारी बुनियादी नीतियों ने हमें इस का मुकाबला करने के लिये सबल बनाया है या कमजोर बनाया है । मैं सरकार की गलतियों की ओर संकेत नहीं कर रहा । यदि बुनियादी नीतियाँ गलत हैं और उन्होंने हमें कमजोर किया है, तो हमें उन्हें बदलना होगा । वे बुनियादी नीतियाँ क्या हैं ? घरेलू क्षेत्र में हम ने योजनाबद्ध विकास को अपनाया है । इस का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना है ।

यदि आप सामाजिक न्याय का अर्थ करें इस का अर्थ है सबके लिये न्याय, बराबर अवसर, जिससे कि लोगों की दबी हुई शक्तियाँ उभर सकें और वे दूसरों के साथ अपना स्थान ग्रहण कर सकें । सामाजिक न्याय में सामन्तवाद के लिए कोई स्थान नहीं । इस में असमानताएं जो कि आज हमें दिखाई देती हैं, उन के लिए भी स्थान नहीं है । परन्तु इस समय मैं अपनी नीति के बारे में बात कर रहा हूँ । हमारी सामाजिक न्याय की नीति हमें समाजवाद की ओर ले जाने वाली है । समाजवाद से मेरा अर्थ ऐसी पद्धति से नहीं है जिस में अन्ध विश्वास या कोई निश्चित नियम ही हों । हमारा उद्देश्य ऐसे समाजवाद से है जिस में लोगों को बराबर अवसर मिले और सब समृद्ध हो सकें । यह बहुत बुरी बात है कि हम से कुछ लोग बहुत समृद्ध हों और कुछ भूखे रहें अथवा दुखी जीवन व्यतीत करें । कोई सामाजिक प्रणाली जिस में ऐसा होता है निश्चय ही बुरी है ।

घरेलू क्षेत्र में हमारी नीति लोगों की अवस्था को सुधारना है । कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि लोगों को राजनीतिक जनतंत्र के अधिकार मिलने पर वे जागने लगते हैं और वे मांगें करते हैं । इस से सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं । वे ऐसी मांगें करते हैं जो उस समय तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक हम सामाजिक ढाँचे को बदल न दें ।

प्रजातंत्र केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं । यह, जब तक आर्थिक प्रजातंत्र न बन जाये, तब तक प्रजातंत्र राज्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाता । और यह वर्तमान दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पाद का हमें इस तरह से वितरण करना है जिस से अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके । इसलिये जिस नीति को हम इस उद्देश्य के लिये अपना रहे हैं वह हमारे घरेलू क्षेत्र में ठीक है । विदेशी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र से गौण है । यह प्रमुख इसी समय होता जब हम पर बाहर से आक्रमण किया जाता है या ऐसी कोई दूसरी बात होती है । अगर हम समृद्ध है, तो दुनिया में हर जगह हमारी बात सुनी जायेगी किन्तु यदि हम असफल हैं, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा । इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लिये घरेलू क्षेत्र का ही महत्व है। किन्तु दोनों आपस में सम्बन्धित हैं। ऐसी घरेलू नीति अपनाना जो विदेशी नीति के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती हो, असंगत है।

हमारी विदेशी नीति दुनिया में शान्ति स्थापना की है। वह ठीक था और अब भी ठीक है। चीनी सरकार के युद्ध में विश्वास करने से वह गलत नहीं हो जाता क्योंकि चीन सरकार की बहुत सी बातें गलत हैं। वह अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की किसी बात को नहीं मानते और अपनी सभ्यता से गिर गए हैं। हम शान्ति और सहयोग में विश्वास करते हैं जो हम से सहयोग नहीं कर सकता उसे से हम सहयोग नहीं कर सकते। किन्तु हम दूसरे देशों से सहयोग करने के लिये तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में अकेले हैं। मैं नहीं जानता उस का क्या अर्थ है। मेरा विचार है कि भारत का सब से अधिक सम्मान किया जाता है। हमारी आलोचना भी की जाती है। हमारा सम्मान मुख्यतया हमारी पुरानी संस्कृति के अतिरिक्त इस लिए किया जाता है कि यहां गांधी जी हुए थे दूसरा इस कारण कि हम कुछ सीमा तक गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं।

हम प्रजातंत्र को मानते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो दुनिया के अन्य प्रजातंत्रीय राज्यों ने नहीं किये। यह दुनिया के इतिहास में एक नई बात है कि हम ऐसी प्रणालियों को कायम रखते हुए नियोजित व्यवस्था द्वारा अपनी प्रगति कर रहे हैं।

प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को अपने स्वार्थों के आधार पर निर्धारित करता, ऊंचे सिद्धान्तों पर नहीं। भारत के पड़ोसी देशों में कुछ परिवर्तन हुए हैं और वे बिना किसी सिद्धान्त के हुए हैं किन्तु कोई अपनी नीतियों का मूल्यांकन दूसरे के किसी सिद्धान्त को मानने में असफलता से नहीं कर सकता।

हमने अपनी पृष्ठभूमि और वर्तमान व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हुये दूसरे देशों के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई उसके परिणामस्वरूप यह अनिवार्य हो गया था कि हम तटस्थता की नीति को, जिसे अधिकांशतः इस सभा ने और मेरा विश्वास है विरोधी दल के कई सदस्यों ने भी, स्वीकार कर लिया था, अपनाते। मैं पुनः तटस्थता को नीति की व्याख्या करूंगा। दूसरे शब्दों में इसे कार्य करने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। तटस्थता का अर्थ स्वाधीनता का प्रमाण, क्रिया की स्वतंत्रता और अन्य राष्ट्रों के साथ पूर्ण मैत्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरे विचार में यह अनिवार्य और उचित है। यह एक विचित्र बात है कि कई वर्ष पूर्व जब हमने इस तटस्थता की नीति के विषय में बोलना आरम्भ किया था तब कुछेक राष्ट्र ही और थे जो इसका उल्लेख करते थे। इन १० अथवा १२ वर्षों में शनैः शनैः कई राष्ट्रों ने इसे अपना लिया है। इनमें प्रमुखतया नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र हैं। जिन्होंने स्वाभाविक रूप से यह समझ लिया कि एक नवोदित राष्ट्र के लिये ऐसा दृष्टिकोण अपनाना उचित है। किन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो राष्ट्र आरम्भ में हमारी इस नीति को संदेह की दृष्टि से देखते थे उन्होंने भी शनैः शनैः इसकी सराहना आरम्भ कर दी और आज ऐसी स्थिति है कि हर राष्ट्र जिसका कोई स्थान है इस नीति की सराहना करता है। मैं यह नहीं कहता कि यह राष्ट्र अपने लिये इस नीति को उचित समझते हैं। हो सकता है कि यह शक्ति गुंथों के सदस्य हों। किन्तु हमारी परिस्थितियों को देखते हुये यह इसकी सराहना करते हैं। विचित्र बात तो यह है कि कुछ माननीय सदस्य, दूसरे अन्य विषयों के स्थान, इस विषय में भी हम से पूर्णतया असहमत हैं। वह समस्त संसार से असहमत हैं और वह तर्क शक्ति के अभाव में अथवा किसी विशेष तर्क-प्रक्रिया द्वारा जिस ठर्रे पर चल चुके हैं उसी पर चलते रहेंगे।

यह दो प्रमुख आन्तरिक नीतियाँ हैं जिन पर हम चल रहे हैं और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि वह ठीक थीं और अब भी हैं और परिवर्तनशील संसार में भी ठीक ही रहेंगी। तटस्थता को ही लीजिये। केवल यह बात कि इससे हमें कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है हमारे लिये ऐसा बंधन उत्पन्न नहीं कर देती कि हम परिवर्तनशील विश्व के अनुसार अपने को न ढाल सकें। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो एक स्थान पर दृढ़ रहने के स्थान पर इधर उधर भटकता रहता है। जिसका न कोई सिद्धांत है और न जो किसी उपयोगी बात में विश्वास ही करता है। यह एक असाधारण बात है।

इसलिये मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमने जो नीतियाँ अपनाई हैं वह उचित हैं। घटनाओं ने उनका औचित्य सिद्ध किया है। सिद्धांतः यह उचित है किन्तु व्यवहार में इनके औचित्य को सिद्ध किया गया है। इसलिये हमें आन्तरिक और विदेशी दोनों क्षेत्रों में इनको अपनाये रहना चाहिये।

इन नीतियों के सम्बन्ध में हमने जो प्रगति की उसके विषय में मंजूरियों में विभिन्नता हो सकती है। किन्तु मेरा विश्वास है कि हमने यथेष्ट प्रगति की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग यह चाहते होंगे कि आन्तरिक क्षेत्र में प्रगति अधिक तेजी से की जानी चाहिये थी। किन्तु हमें कार्य करना होगा। यह प्रश्न केवल सरकार के कार्य करने का, या इस संसद के कार्य करने का, अच्छे भाषण देने का और संकल्पों को पारित करने का ही नहीं है, यह तो इस पर निर्भर करता है कि आम जनता परिस्थितियों को समझे और उस दिशा में कार्य करे। यह सच है कि इस संसद और सरकार को नेतृत्व करना है और कार्यों में सहायता देनी है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र की सारी जनता को कार्यरत करें, फिर चाहे वह कार्य शांति के लिये हो अथवा युद्ध के लिये, या फिर दोनों के लिये। मैं समझता हूँ कि यह कहना कि हमें बहुत से कार्यों में सफलता नहीं मिली और जितनी प्रगति हमें करनी चाहिये थी उतनी नहीं कर सके, आसान है। किन्तु फिर भी गत १२ वर्षों में हमने जो प्रगति की है वह असाधारण है। यदि हम इतनी प्रगति नहीं कर पाते तो भी यह बात असाधारण होती क्योंकि मात्र यह तथ्य ही विलक्षण है कि इन आंधी और तूफानों के बावजूद भी, जिनमें से हम निकले हैं, हम अपने प्रजातन्त्रीय अस्तित्व को बनाये रख सके हैं और प्रजातन्त्रीय ढंग से कार्य करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम एशिया या अफ्रीका के किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन करें तो यह अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। हमने देखा है कि प्रजातन्त्रीय ढाँचे का विप्लवकारी शक्तिप्रयोग से तब्बत पलट दिया गया है और वहाँ स्वैरतंत्र की अथवा प्राधिकारवाद की स्थापना कर दी है, जिसे कि हम अवांछनीय समझते हैं। यही हो रहा है और सर्वत्र हुआ है। इसलिये यह तुलना स्वयं ही इस बात को स्पष्ट कर देती है कि हमने कितनी सफलता प्राप्त की है।

यदि हम इन मूल सिद्धांतों और नीतियों से सहमत हो जायें तो आज हमारे सामने इन सिद्धांतों की जांच करने का कार्य नहीं रह जायेगा क्योंकि इनका औचित्य सिद्ध किया जा चुका है। अपितु हमें इस बात की जांच करनी होगी कि इनको कार्यान्वित किस प्रकार किया जाये। इनको कार्यान्वित करने में ही हम असफल हुये हैं और इनकी कार्यान्वित के लिये लाखों व्यक्तियों की यथेष्ट कार्यक्षमता की और उन व्यक्तियों के नेतृत्व करने की क्षमता की आवश्यकता है। यह एक दूरदृष्ट कार्य है। यदि हमें औद्योगिक उन्नति करनी है तो एक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दृढ़ औद्योगिक आचार स्थापित करना होगा। अर्थात् यही नहीं कि यहां-वहां एक-दो कारखाने खोल दिये जायें; आवश्यकता इस बात की है कि एक दृढ़ सुव्यवस्थित औद्योगिक आचार की स्थापना की जाये जिस पर और सब बातें निर्भर करती हैं। हमने कुछ सीमा तक यह कार्य कर लिया है किन्तु अभी हमें इसे पूरा करना है। आगामी छः, सात अथवा आठ वर्षों में हम इतनी प्रगति कर लेंगे कि एक बड़ी सीमा तक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके पीछे यह सिद्धांत कार्य कर रहा है और अनिवार्य है कि सैनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी वह हमें पूर्णरूप से तो नहीं किन्तु कुछ-कुछ आत्मनिर्भर बना देगा। मैंने इसका उल्लेख इस बात को कहने के लिये किया है कि युद्ध के लिये तैयार रहने का और कोई मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग यह है कि दूसरे देशों से काफ़ी मात्रा में हथियार खरीदे जायें या बिना भुगतान के अथवा भुगतान की आसान शर्तों पर लिये जायें। संकट के समय ऐसा करना पड़ता है और हम भी ऐसा कर रहे हैं। किन्तु इसे हमारी शक्ति नहीं कहा जा सकता। इन हथियारों के निर्माण के लिये बाहर से गोलाबारूद खरीदते रहना ही देश पर एक बहुत बड़ा भार रहेगा जब तक हम उसे बनाना यहीं आरम्भ न कर दें। इसीलिये यह आवश्यक है कि हम अपनी औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण करें जो कि समय पड़ने पर युद्ध के लिये भी कार्य कर सके। इस बीच में हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा। हम ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चीनी आक्रमण के प्रति भारत की जनता की प्रतिक्रिया के विषय में मैं एक बात कहूंगा। हम सब ने इसे एक आश्चर्यजनक और स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया बताया है। किन्तु इसका कारण क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप कह सकते हैं कि इसका कारण उनका देश-प्रेम था। यह सच है, किन्तु इसका अर्थ यह हुआ कि उनके हृदय में देश का वह रूप है। उत्तर-पूर्व भारत में आक्रमण होने पर सुदूर कन्या कुमारी के निकटस्थ लोगों की प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि उनके मस्तिष्क में भारत का वह रूप है। आपको मानना पड़ेगा कि यह एक अच्छी बात है इसके अतिरिक्त इसका एक कारण यह था कि चुनौती आज के भारत को दी गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह आज के भारत की और इसकी सरकार की कितनी भी आलोचना क्यों न करें किन्तु भारत में गत १० अथवा १२ वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई है उसकी वह सराहना करते हैं और उससे विलग होना नहीं चाहते। वरना कुछ ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो किसी सिद्धांत के कारण जोश में आते हैं। साधारण लोग इन बातों का सैद्धान्तिक नहीं अपितु व्यवहार्य रूप देखते हैं और इसीलिये इनकी प्रतिक्रिया इतनी शानदार हुई। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं उनकी वे सराहना करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते।

हमें सैनिक समस्या का सामना करना है। किन्तु यदि हम इसे केवल सैनिक समस्या ही समझें तो यह हमारी भारी भूल होगी। इसके साथ ही यह एक राजनैतिक समस्या भी है। इसलिये सैनिक और राजनैतिक दोनों दृष्टिकोणों से हमें जनता को तैयार करना है; जिससे वह सैनिक रूप से सुसज्जित हों और राजनैतिक विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकें। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके और अपने देश के विषय में राजनैतिक जानकारी का अभाव सेना संबंधी प्रयत्नों को कम-जोर कर देगा हमारी जनता को यह समझ लेना चाहिये कि हम लोग और वह स्वयं उनके भावी जीवन को अधिक अच्छा बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक भारतीय की अवसर मिलेगा और हमारी यह दयनीय गरीबी दूर हो जायेगी। अन्य बातों के साथ-साथ लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिये समाजवाद के आदर्श का भी आवश्यकता है। हमने प्रगति की है, किन्तु अब

भी देख में कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व हैं जो समस्या को उलझा देते हैं और प्रगति के मार्ग में अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं ।

माननीय सदस्यों ने पूछा था कि अब हम इन सब बातों के विषय में क्या कर रहे हैं ? मैं इस विषय में विस्तार से कुछ नहीं बता सकता कि हम सैनिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम स्वयं किस वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कौन से कारखाने स्थापित कर रहे हैं और दूसरे देशों से कौनसी वस्तुयें प्राप्त कर रहे हैं ; क्योंकि एक तो यह बताना मेरे लिये उचित नहीं होगा और दूसरे मैं यह नहीं जानता कि अन्ततः हमें क्या मिलेगा । हमें बहुत सी वस्तुयें मिल रही हैं । हमें बहुत सी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है और हम उन्हें प्राप्त करने का यथासंभव यत्न कर रहे हैं । प्रमुख वस्तुयें जो हम चाहते हैं मशीन हैं जिससे कि हम स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर सकें । इसके अतिरिक्त हवाई जहाज, विशेष हवाई जहाजों के प्रशिक्षण आदि की भी हमें आवश्यकता है ।

मुझे हवाई संरक्षण के प्रश्न पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं इसके विषय में पहले ही विवरण दे चुका हूँ । मैं समझता हूँ इससे स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो चुकी होगी । हवाई संरक्षण का प्रश्न जैसा कि पहले भी समझा गया था उचित नहीं है । यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हम किसी महत्वपूर्ण काम को स्वयं नहीं कर सकेंगे और दूसरे से वह काम अपने लिये करवायेंगे । यह बात वास्तव में बुरी है । मनोवैज्ञानिक कारणों से भी यह उचित नहीं, क्योंकि कालावधि के समाप्त होने पर चाहे वह कुछ भी करें, हम उतने ही शक्तिहीन रहेंगे जितने थे । दूसरी ओर हमारी जनता पर यह प्रभाव पड़ेगा, कि दूसरे लोग हमारे लिये कार्य कर रहे हैं उचित नहीं है । यह उनकी शक्ति को कम कर देगा और उनमें ऐसी भावना उत्पन्न कर देगा कि दूसरे लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, वह चौकीदार की तरह शस्त्रों से सज्जित हो कर उनके रक्षा-कवच बने हुये हैं, चोर और बदमाश हमारा कुछ नहीं कर सकते और हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं । किसी भी देश की जनता में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करना उचित नहीं है । मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव बुरा पड़ता है । किन्तु, जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूँ हम अपने मित्र देशों से सहायता प्राप्त करने का और अपनी हवाई और थल सेना संबन्धी आवश्यकताओं के लिये सामग्री प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं कह सकता हूँ कि “अम्ब्रेला” शब्द स्वयं ही अपने पूर्व राजनैतिक उल्लेखों के कारण एक बुरा शब्द है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस विषय में माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ ।

माननीय विरोधी दल के सदस्य ने अपना भाषण देते समय मुझ से एक विधेय प्रश्न पूछा था जिसका उन्होंने स्पष्ट उत्तर चाहा था । मैं नहीं जानता कि मैं इस समय उनके सब प्रश्नों का कहां तक उत्तर दे सकता हूँ । उन्होंने मुझ से पूछा था—“क्या हम चीन के साथ युद्ध स्थिति में हैं ?” स्पष्ट है कि हम सही अर्थों में चीन के साथ युद्ध स्थिति में नहीं हैं; किन्तु युद्ध के इन सही अर्थों की पृष्ठभूमि में और भी कई बातें हैं । यह एक भिन्न बात है । मैं कह सकता हूँ कि चीन के साथ हमारा संघर्ष आरम्भ हो गया है, यह दीर्घकाल तक चल सकता है । यह कदाचित् कभी-कभी वास्तविक युद्ध का रूप ले सकता है । किन्तु संघर्ष जारी रहेगा और हम हर समय इसके किनारे पर खड़े रहेंगे । इसलिये हमें हमेशा इसके लिये तैयार रहना है । मैं नहीं जानता कि यह उत्तर समुचित है अथवा नहीं । भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे, इस बारे में हम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते ।

†श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : हम युद्ध के लिये तैयारियाँ कर रहे हैं अथवा संघर्ष के लिये ?

†मूल अंग्रेजी में।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : तैयारियां तो वैसी ही होंगी, चाहे युद्ध हो अथवा संघर्ष । मैं यह भी कहता हूँ कि यदि समझौता-वार्ता भी हो तो भी तैयारियां इसी प्रकार की करनी होंगी ; क्योंकि जब तक शक्ति न हो तब तक कोई भी समझौता वार्ता नहीं की जा सकती ; और न ही इसका कोई मूल्य है ।

इस समय, जहां तक इन सीमा-क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों का सम्बन्ध है, हम अपने को इच्छानुसार कार्य करने के लिये पूर्णतया स्वतंत्र समझते हैं और जहां हम चाहें अपनी सेना भेज सकते हैं । किन्तु कुछ सीमा तक हम कोलम्बो प्रस्तावों से बंधे हुये हैं । क्योंकि एक बार उन्हें स्वीकार करने के बाद हम उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते । ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि.....

† श्री हेम बरमा (गोहाटी) : किन्तु चीन के युद्ध विराम करने के बाद कोलम्बो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने तक कुछ समय लगा था । इस बीच आपने क्या किया ?

† श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह कह सकता हूँ कि हम कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में, जिस रूप में हमने उन्हें स्वीकार किया है, विचार करने और उनको कार्यान्वित करने के विषय में अपने आपको स्वतंत्र समझते हैं । चीन इन प्रस्तावों को भिन्न दृष्टि से देखता है । कुछ भी हो इस समय ऐसे प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । जैसाकि हमने कहा है हमारी सेना ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है । उसी ने यह निश्चय करना है कि कब, कहां और किस प्रकार जाया जाये ।

† श्री नाथ पाई (राजापुर) : मूलतः यह राजनैतिक निर्णय है । हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यह निर्णय सेना के लिये है ।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : राजनैतिक निर्णय हमने ले लिया है । मैं इस समय की बात कह रहा हूँ । कल परिस्थिति दूसरी हो सकती है । अर्थात् कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार हम अपने दस्ते या सेना को कहीं भी भेज सकते हैं । वह एक राजनैतिक निर्णय है । किन्तु यह निश्चय सेना के करने के लिये है कि उन शर्तों के अनुसार दस्तों को तुरन्त वहां भेजे अथवा कुछ दिनों बाद ।

† श्री नाथ पाई : वह इनकी कार्यान्विति है ।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : इसे कार्यान्वित करने का कार्य सेना का है ।

† श्री रंगा : प्रधान मंत्री जब लंका गये थे तब उन्होंने यह कहा था कि “मैंने अपने दस्तों से आगे बढ़ने के लिये कह दिया है ।” क्या यह सेना का निर्णय था अथवा राजनैतिक था या प्रधान मंत्री का था ?

† श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य इस छोटे से तथ्य की सराहना करेंगे कि मध्य सितम्बर के बाद से कुछ तो हुआ ही है ।

† श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : बात अधिक हुआ ।

† श्री जवाहरलाल नेहरू : जो कुछ मैंने उस समय कहा था वह केवल मेरा ही निर्णय न होकर सैनिकों का दृष्टिकोण भी था । वह ही ऐसा करना चाहते थे, अन्यथा मैं यह कहने का साहस ही न करता । यह स्पष्ट बात है ।

† श्री हरि विष्णु कामत : उस काल के प्रतिरक्षा मंत्री भी ।

† मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अब, उदाहरणतया, थागला रिज क्षेत्र तथा लोंगजू यह दो स्थान हैं जिनको कि हमें, हमारे द्वारा स्वीकृत कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, अन्य प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं करना था, और जिन पर हमें अपने भेदियों द्वारा, कार्यान्वित के समय, चीन सरकार के साथ चर्चा करनी थी। इसी कारणवश, वर्तमान में हम अपनी सेनाओं को थागला रिज क्षेत्र तथा लोंगजू में नहीं भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समस्त नेफा में हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी सेना को कहीं भी भेज सकते हैं। इस मामले में हमें केवल सेना अधिकारियों के निर्णयानुसार कार्य करना है, और वह जब चाहें, जितनी संख्या में तथा जिस प्रकार चाहें, सेना वहां भेजनी हैं। इसी प्रकार लद्दाख में भी, कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, हम अपनी सेना को, करार की सीमा के अन्तर्गत, कहीं भी भेज सकने में स्वतंत्र हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : कौनसा करार ? करार तो कोई नहीं हुआ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे द्वारा स्वीकृत कोलम्बो प्रस्तावों की सीमाओं के अन्तर्गत, मैं केवल वर्तमान की बात कर रहा हूँ—कल को बेशक कोई भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाये—जो स्थिति अब है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। प्रधान मंत्री स्वयं यह कह रहे हैं कि कोलम्बो प्रस्ताव चीन द्वारा स्वीकार नहीं किये गये है। जब उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो हम भी उनसे बन्धे हुये नहीं हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में, यह बात हमारे रास्ते में बाधा डालने वाली नहीं है, क्योंकि हमने उसे अभी क्रियान्वित ही नहीं किया। और ऐसा करने में हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं।

†श्री हेम बरुआ : इसको क्रियान्वित करना चीन की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

†श्री ना० गो० रंगा : तब आप “करार” शब्द को निकाल दीजिये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है, इस प्रकार का कोई “करार” नहीं हुआ। मैंने कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में यह कहा है कि हमारी सेना अभी उस सीमा तक नहीं पहुँची हैं। मेरा केवल यही कहना था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय की स्थिति पर, सब कुछ निर्भर करेगा। मेरे लिये वह कहना स्वाभाविक है कि इस समय केवल आगे बढ़ने अथवा अपना झंडा फहराने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इतनी शक्ति से आगे बढ़ने का है जिससे कि सेना किसी प्रकार की भी अड़चन का सामना कर सकने के योग्य हो। इस बात का ध्यान सेना को अवस्व रखना है। हम सेना की नहीं कह सकते कि आप इस तरह आगे बढ़िये। वह जा सकते हैं या नहीं इसका निर्णय उन्हें ही करना है। वह एक सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं।

मैं एक बात को दोहराना चाहूंगा। जब कभी युद्ध की चर्चा होती है तो कई युद्ध कला प्रेमी हमें निरन्तर परामर्श देने लगते हैं कि युद्ध इस प्रकार लड़ जाना चाहिये, और कि युद्ध-संबंधी तैयारियाँ इस प्रकार करनी चाहियें। हम सब इस संबंध में अपने अपने मत रखते हैं, परन्तु जहाँ तक वास्तविक युद्ध संबंधी गतिविधियों का संबंध है, हमें उन विशेषज्ञों पर निर्भर करना पड़ता है जिनको कि परामर्श देना होता है, और उसके अनुसार स्वयं कार्य भी करना होता है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सामान्यता, मैं इस सभा को स्मरण कराऊंगा कि यद्यपि हम हर तरह से अपने को तैयार करने के लिये पग उठा रहे हैं, परन्तु बातचीत द्वारा किसी संभव समझौते की बात को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते यह बेशक असम्भाव्य हो, और शायद ऐसा है भी, परन्तु, इस नीति का त्याग कर देना अनुचित होगा। ऐसी नीति हमारी कभी नहीं रही है। मैं पहले इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द करने अथवा कुछ देशों के पंचनिर्णय के लिये देने का निश्चय कर चुका हूँ। हो सकता है कि चीन इस बात को स्वीकार न करे, यह एक अलग बात है, परन्तु हमारी दृष्टि से और इस दृष्टि से कि संसार इस बात की सराहना कर रहा है, हमारे लिये यह उचित मार्ग है।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे आशा है कि सभा से परामर्श लेकर ही आप इस बात की सहमति देंगे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : स्पष्टतः, मैं सभा से परामर्श लिये बिना देश की ओर से ऐसा बचन नहीं दे सकता, परन्तु लगभग एक या दो मास पूर्व मैं चीन के प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में इस बात की चर्चा कर चुका हूँ, और यह सुझाव दे चुका हूँ। यदि वह इस सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे लिये इससे पीछे हटना कठिन और अनुचित होगा।

अब मैं कुछ अन्य मामलों की चर्चा करूंगा। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आपात-काल का अन्त कर दिया जाये। इसके साथ साथ, उन्होंने जनता में आपात की भावना को कायम न रख सकने पर सरकार तथा प्रशासन की आलोचना भी की है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि, अन्य कारणों को छोड़ कर, यदि हम आपात-काल का अन्त कर देते हैं तो आपात का विचार सब के मस्तिष्क से निकल जायेगा।

†श्री ना० गो० रंगा : जी नहीं, उन में देशभक्ति की भावना अधिक है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि इतनी स्पष्ट बात को भी प्रो० रंगा नहीं समझ पाये। मगर यह निश्चित है कि यदि आपात-काल का अन्त कर दिया जाये तो समस्त देश में यह भावना उत्पन्न हो जायेगी कि खतरा टल चुका है और संकट के लिये तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रही। यह एक कारण है। मैं चाहता हूँ कि सभा यह न विचार करे कि खतरा टल चुका है। मुझे नहीं मालूम कि भावी २, ३ या ४ मासों में, मार्च या अप्रैल में, क्या होने वाला है। मैं केवल यह समझता हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी करते रहना चाहिये। अपने आप को अधिक सशक्त बनाने का कार्यक्रम कुछ सप्ताहों अथवा मासों तक नहीं बल्कि सम्भव है, एक अथवा दो वर्षों तक चलता रहे। चूँकि हम हर स्थिति के लिये तैयार रहना चाहते हैं। हमारे लिये यह कल्पना करना कि कोई नया संकट उत्पन्न होने वाला नहीं है सर्वथा अनुचित है।

†श्री ना० गो० रंगा : क्या आप आपात जारी रख कर नागरिक स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, और कांग्रेस दल को इतनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह समस्त देश में जो चाहेकरता रहे, और जो उन से मतभेद रखते हों उन के साथ देश द्रोहियों का सा बर्ताव करे?

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह भाषण नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक भारतीय रक्षा नियमों का संबंध है कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और उन पर विरोध प्रकट किया गया है। यह लगभग सभी गिरफ्तारियां राज्य सरकारों के कहने पर की गई हैं, यद्यपि भारत सरकार का समर्थन भी प्राप्त किया गया था। वह समर्थन सामान्य था न कि किसी विशेष व्यक्ति का किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बारे में। परन्तु उन का इस प्रकार कार्य करना . . .

†श्री वासुदेवन नायर : क्या हम यह समझें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दिया गया था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने केवल यह कहा था कि भारत सरकार का समर्थन किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बारे में न हो कर सामान्य प्रकार का था। हमारा यह सामान्य आदेश है कि जब कभी वह दुर्द-प्रयासों की दृष्टि से किन्हीं व्यक्तियों को खतरनाक समझें तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु इस आदेश को कार्यान्वित करना उन पर निर्भर था। उस समय, से, हम कई बार उन्हें कह चुके हैं कि इन मामलों पर फिर से विचार किया जाय और जहां वह उचित समझें उन्हें मुक्त कर दें। वास्तव में लगभग २०० गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। मामलों की पुनः जांच निरन्तर हो रही है।

काश्मीर के संबंध में मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में निश्चय कर लेने पर मेरे लिये सभा में अथवा बाहर इस पर चर्चा करना अनुचित होगा, यद्यपि मैं यह अवश्य कहूंगा कि हाल की जिन नई परिस्थितियों से उत्साहित हो कर पाकिस्तानी विदेश मंत्री चीन के साथ अपनी सीमा के संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर . . .

†श्री हरि विष्णु कामत : हमारी सीमा।

†श्री नाथपाई : उन की सीमा कौनसी है ? हम तो दावा करते हैं कि काश्मीर भारत का अंग है।

†श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने हमारी सीमा का उल्लंघन किया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, इस बात से हमें धक्का पहुंचा है, केवल स्थिति के नुन्यादी तथ्यों के कारण ही नहीं बल्कि इसलिये कि ऐसी घटनाओं के लिये एक विशेष समय चुना गया है। सभा को स्मरण होगा कि जब पूर्व में मेरे साथी सरदार स्वर्ण सिंह रावलपिंडी में बातचीत की पहली श्रृंखला के सिलसिले में गये थे तो बातचीत आरम्भ होने से एक दिन पूर्व एक घोषणा की गई थी कि सीमा के संबंध में चीन और पाकिस्तान में सैद्धान्तिक रूप में समझौता हो चुका है। उस घोषणा के लिये भी एक विशेष समय चुना गया था। अब फिर जब सरदार स्वर्ण सिंह थोड़े ही समय में बातचीत के लिए जाने वाले हैं तो यह कदम उठाया गया है इस से कम से कम यह प्रतीत होता है . . .

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : हमें तो कब से मालूम था कि उन को निमंत्रण दिया जा रहा है। पीकिंग की ओर से मोहम्मद अली को आमंत्रण दिया गया था। भुट्टो साहब को भी आमंत्रण मिला था।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ भी हो, इस के लिये जो समय चुना गया है वह महत्वपूर्ण है। मेरे सिचार में यह सोचना उचित ही है कि यह समय निश्चित करना एक स्वाभाविक अथवा आकस्मिक

†मूल अंश में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बात नहीं हैं, बल्कि ऐसा जान बूझ कर ही किया गया है। इसलिये, इस बात से पाकिस्तान सरकार की किसी समझौते पर पहुँचने की तीव्र आकांक्षा का आभास नहीं मिलता। हम ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री, श्री भुट्टो की चीन यात्रा के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने की बात पर विचार किया है। हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हमें अपने पूर्व संकल्प के अनुसार बातचीत करनी चाहिये और इस कारण बातचीत करने से पीछे नहीं हटना चाहिये, यद्यपि यह स्वभाविक है कि इस बात का हमारी बातचीत पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसलिये शायद, शायद शब्द का प्रयोग में इसलिये कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में मालूम नहीं क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हों, उन उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को सामते रखते हुए ही शायद मैं सरदार स्वर्ण सिंह को बातचीत के लिये कलकत्ता जाने का अनुरोध करूँ। क्योंकि स्थिति पर विभिन्न पहलुओं से विचार करना पड़ता है। हमारा विचार है कि केवल इस बात पर बातचीत न करना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य सारी पृष्ठभूमि से परिचित हैं, परन्तु संसार के लिये यही बात विशेष होगी कि बातचीत हमने समाप्त कर ली, यह नहीं कि भुट्टो साहिब समझौता करने चीन गये हैं।

मैं एक दो अन्य मामलों की चर्चा करना चाहूँगा। बहुत से सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट अष्टाचार और प्रशासनिक कृत्यों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले पर बहुत बात होती रहती है और इस की ओर निदेश करना उचित भी है यद्यपि बहुधा जो तस्वीर खींची जाती है वह वास्तविकता से बढ़चढ़ कर होती है फिर भी, यह एक अत्यावश्यक महत्व की बात है जिस के बारे में दो राहें नहीं हो सकतीं। और मैं सभा को, आश्वासन देता हूँ कि हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सदस्यों को हमारे प्रयत्नों की सूचना मिलती है या नहीं, अथवा कि क्या इन बातों का प्रचार किया जाता है; परन्तु प्रत्येक मास मुझे उन सरकारी कर्मचारियों की एक लम्बी सूची मिलती है, जिन के विरुद्ध, उचित जांच के पश्चात् या तो न्यायालय से मुकद्दमें चलाये गये हैं, अथवा विभागीय कार्यवाही की गई है और उन को दण्ड दिया गया है।

हाल ही में एक विवियन बोस जांच प्रतिवेदन निकला जो, मुझे आशा है, कि अब प्रत्येक सदस्य के पास है, क्योंकि यह एक पढ़ने योग्य दस्तावेज है, केवल इसलिये नहीं कि कुछ बातें इस में उल्लिखित हैं, बल्कि इसलिये और भी क्योंकि एक विशेष पृष्ठभूमि थी जिसमें ऐसी बातें हो सकती हैं। यह सच है कि उस पृष्ठभूमि में अब परिवर्तन आ चुका है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पश्चात् हुई जबकि कुछ नये कानून, जो अब पारित हो चुके हैं, उस समय नहीं थे। कुछ भी हो, इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि न केवल किस प्रकार एक अपराधी को दण्ड देने के लिये कार्य किया जाय बल्कि किस प्रकार ऐसी घटनाओं के पुनरावर्तन को यथासंभव रोका जाय।

† श्री हरि विष्णु कामत : क्या संसद को उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा ?

† श्री जवाहरलाल नेहरू : निःसन्देह, परन्तु हम ने इसे.....

† श्री हरि विष्णु कामत : शीघ्र ही इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ?

† श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कठिन है, क्योंकि वित्त विधेयक बहुत सा समय ले लेगा। परन्तु एक बात और भी है। हमने उस प्रतिवेदन को प्रसिद्ध वकीलों के पास भेजा है, और उन्हें केवल

प्रत्येक मामले की जांच ही करने के लिये नहीं, वह तो विस्तृत जांच की बात है, बल्कि हमने उनसे परामर्श देने के लिये भी कहा है कि हर एक के विरुद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं। इसलिये मेरा विचार है कि हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करके ही उसे सभा के समक्ष लाना चाहिये।

मैं एक अन्य मामले की चर्चा करना चाहूंगा। कुछ सदस्यों द्वारा मेरा ध्यान कलकत्ता के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस बात की ओर आकर्षित किया है कि पुलिस द्वारा कुर्क की गई कुछ लेखा-पुस्तकों और कुछ कागजात और अन्य वस्तुओं में राज्य मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, आदि के नाम पाये गये हैं। मुझे यह सूचना दो अथवा तीन दिन पूर्व ही मिली थी और मैंने जांच की, और इस बारे में अधिक जानकारी के लिये एक प्रतिवेदन मांगा है ताकि हमें मालूम हो कि तथ्य क्या हैं और उनके आधार पर हम कार्यवाही कर सकें।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में बहुत से सदस्यों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है

†श्री प्रिय गुप्त : अष्टाचार विरोधी आंदोलन के संबंध में मंत्रियों के लिये भी एक न्याय सभा होनी चाहिये जो कि उनके विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही कर सके।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं न्याय सभा की चर्चा नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया है कि वन एकत्रित करने में दबाव डाला जाता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि हमने बार बार साफ तौर से कहा है, सरकारी तौर से तथा अन्य प्रकार से, कि किसी तरह का दबाव न डाला जाय और अनिवार्यता न दिखाई जाय। क्योंकि इससे जिस प्रकार जनता द्वारा दान दिया गया है, अतः जो एक उत्साहवर्द्धक बात है, वह भावना ही नहीं रहती। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वित्त मंत्री, मैं और कई अन्य लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस त्रुटि को समाप्त करने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखेंगे।

मैं स्वर्ण नीति के संबंध में एक दो शब्द कहूंगा। मेरे विचार में जहां तक स्वर्ण नीति का संबंध है यदि सभी सदस्य नहीं तो लगभग सभी सदस्य इसे कार्यान्वित करने में सहमत होंगे। मतभेद हो सकते हैं और सुझाव भी दिये जा सकते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर वित्त मंत्री को निरन्तर विचार करना चाहिये। परन्तु मैं इस मामले पर अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर शीघ्र ही सभा में चर्चा होने वाली है।

कुछ सदस्यों ने नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा और मनीपुर को असम के साथ मिला कर एक मिला जुला राज्य स्थापित करने का सुझाव दिया। मेरा विचार है कि वैसे तो यह एक अच्छा सुझाव प्रतीत होता है परन्तु इस से अधिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना है, और संबद्ध लोगों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम सम्बद्ध लोगों की इच्छा के प्रतिकूल कोई कदम नहीं उठा सकते।

कुछ सदस्यों द्वारा नेफा के साथ सुरक्षित क्षेत्र का सा बर्ताव करने और लोगों के उस क्षेत्र में सुगमता से प्रवेश न कर सकने पर आलोचना की है। किसी हद तक यह बात सच है। परन्तु सभा को स्मरण रखना चाहिये कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में, भारतीय सरकार का नेफा के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहा है जिस के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र की ओर अधिक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ध्यान दिया जाता रहा है। प्रश्न इस क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग रखने का नहीं है। बल्कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ कुछ इस प्रकार के परिवर्तन लाने का है कि वहाँ के रहने वालों को कठिनाइयाँ न हों और उनमें उत्तेजना उत्पन्न न हो। हमें देश के एकीकरण की ओर अप्रसर होना है परन्तु जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल जा कर वह एकीकरण ऊपरी सतह पर ही होगा। इसलिये, वर्तमान काल में, विशेषतया सीमा संघर्षों को दृष्टि में रखते हुये, इस क्षेत्र के संबंधा-निक प्रवृत्तियों में कोई बड़ा परिवर्तन करना अनुचित होगा।

†श्री हेम बरुआ : जहाँ तक इस क्षेत्र के लोगों का संबंध है, आप उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार किस तरह लाना चाहेंगे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि वह यह समझें कि एक सामान्य भारतीय वहाँ उनका शोषण करने जाता है तो इससे राष्ट्रीय भावना का विस्तार नहीं होगा।

†श्री हेम बरुआ : शोषण की रोकथाम तो करनी ही है, परन्तु प्रथक्करण की नीति, जिस के फलस्वरूप लोगों को उस क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाता, पर आप्रहृ नहीं करना चाहिये।

†श्री हरि विष्णु कामत : चीनी तो उन लोगों का शोषण कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : सीमा की दूसरी ओर चीनी आ जा रहे हैं और लोगों से बन्धुत्व की भावना स्थापित कर रहे हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने तो केवल यह कहा था कि इस क्रिया को जारी रखना चाहिये, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया। यह कार्य शनैः शनैः किया जाने वाला है। यदि आप उनकी भावनाओं को अस्त-व्यस्त करेंगे तो फिर उन्हें समझाना कठिन हो जायेगा।

मुझे खेद है कि मैंने इतना समय ले लिया है। क्या मैं कीमतों के संबंध में कुछ कह सकता हूँ ? इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अजीब सी बात है कि कुछ सदस्यों ने कीमतों के बढ़ने और कुछ अन्य सदस्यों ने इनके घट जाने की चर्चा की है। सदस्यों द्वारा दो विरोधी प्रवृत्तियों की चर्चा करने का अर्थ वह निकलता है कि कीमतें स्थिर रही हैं।

हमें थोक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये और थोक मूल्य सामान्यतया स्थिर रहे हैं। वास्तव में, दिसम्बर मास तक मूल्य घटने की प्रवृत्ति रही है। उसके पश्चात् कीमतें कुछ बढ़ी हैं परन्तु बहुत कम मात्रा में। फुटकर कीमतों के संबंध में समस्त भारत के लिये कोई ठीक सूचना प्राप्त करना कठिन है, फिर भी जो सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं वह हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु सामान्यतया फुटकर कीमतों में भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। निर्मित वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। कपड़े के संबंध में संभरण-व्यवस्था ठीक रही है और कीमतें अपेक्षितया सन्तोषजनक स्तर तक रही हैं। यह घात ठीक है कि कीमतों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों के विचाराधीन है।

धन्यवाद।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मैं किसी विशेष संशोधन को प्रथक रूप में रखूँ।

†मूल अंग्रेजी में